परिपत्र संख्या-वैट अनुभाग-कार्यप्रणाली/07-08/ 472 / व्यापार कर

कार्यालय कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)
दिनांक::लखनऊ::दिसम्बर 26 , 2007

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।

विषय : दिनांक 1.1.2008 से वैट लागू होने पर की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के संबंध में।

दिनांक 1.1.2008 से व्यापार कर के स्थान पर वैट अध्यादेश प्रभावी हो जाएगा। अत: यह आवश्यक है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हैं वह निम्न प्रकार हैं :-

अ- प्रशासनिक व्यवस्था

वैट लागू होने के पहले कार्यालय के नाम, समस्त अधिकारियों के नाम, पदनाम, मुहर आदि में जहां पर व्यापार कर अंकित है उसके स्थान पर **वाणिज्य कर** कर दिया जाए।

ब- पंजीयन तथा सुविधा केन्द्र

1- मुख्यालय से पंजीयन प्रकोष्ठ तथा व्यापारी सुविधा केन्द्र की कार्यप्रणाली के संबंध में जारी परिपत्र संख्या 427 दि0-6.12.2007 का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए तथा उसमें उल्लिखित समस्त कार्यवाहियों के संबंध में समस्त अधिकारियों को अवगत करा दिया जाए।

2- वर्तमान में पंजीकृत सभी व्यापारियों को फार्म-VII व फार्म-VIII की प्रतियां उपलब्ध करा दी जाएं। जहां कहीं आप किसी संगठन आदि की बैठक या सेमिनार में जाएं तो इस बात को प्रचारित किया जाए कि फार्म-VIII के साथ फार्म-VII देने की जो समय सीमा 60 दिन निर्धारित की गयी है वह अधिकतम है व उसके पूर्व भी व्यापारी उसे दे सकता है। फार्म-VII में ऐसे अधिकृत व्यक्तियों की जानकारी दी जानी है जो टैक्स इनवाइस तथा अन्य अभिलेखों को अथेन्टिकेट करेगा। ऐसे अधिकृत व्यापारी फार्म-VIII के साथ फार्म-VII भरकर समय से पूर्व दे दे ताकि दि0-1.1.2008 से टैक्स इनवाइस अथेन्टिकेट करने में असुविधा न हो।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो व्यापारी व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत पहले से पंजीकृत हैं उन्हें निम्नलिखित अभिलेख देना आवश्यक नहीं है :-

I. पहचान सत्यापन के लिए अधोलखित प्रपत्रों में से किन्हीं दो प्रपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :
   a. निर्वाचन आयोग, भारत द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र
   b. आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर)
   c. पासपोर्ट
   d. बैंक पास बुक

II. निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों में से किन्हीं दो की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :
   a. स्वयं मकान स्वामी होने की दशा में पंजीकृत विक्रय पत्र तथा किराएदार होने की दशा में लीज डीड की प्रति
   b. उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत विद्युत बिल
   c. तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

III. व्यापार स्थल / शाखा / गोदाम / कार्यशाला के पते के सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों में से किन्हीं दो प्रपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :
   a. स्थल स्वामी होने की दशा में पंजीकृत विक्रय पत्र तथा किराएदार होने की दशा में लीज डीड की प्रति
   b. तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
   c. उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र
   d. उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा जारी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र

IV. व्यापार के स्वामित्व से भिन्न स्थिति में व्यापार के संबंध में प्रमाण पत्र :
   a. साझीदारी फर्म की स्थिति में पंजीकृत भागीदारी विलेख
   b. वह प्रपत्र जिससे अविभाजित हिन्दू परिवार का गठन हुआ
   c. कंपनी या कॉरपोरेशन की स्थिति में संस्था के बहिर्नियम व संस्था के अंतर्नियम

d. सोसाइटी, क्लब व ट्रस्ट की स्थिति में सोसाइटी, क्लब व ट्रस्ट के उप-नियम

e. अवयस्क या अक्षम व्यक्ति के नाम व्यापार होने की स्थिति में सामान्य प्राधिकार पत्र

f. केन्द्र या राज्य सरकार का विभाग होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र

g. ट्रस्ट होने की स्थिति में ट्रस्ट का घोषणा पत्र

V. अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, यदि लागू हो

a. दुकान अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम

b. मण्डी अधिनियम

c. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसाइटी अधिनियम

d. सर्विस टैक्स अधिनियम

e. उद्योग विभाग अधिनियम

f. केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम

g. औषधि एवं श्रंगार प्रसाधन अधिनियम

h. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ अधिनियम

i. खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीयन

j. कोई अन्य अधिनियम

4- ऐसे व्यापारियों को फार्म-VII के साथ संलग्नक ए, बी, सी एवं डी भरकर देना है। फार्म-VIII के साथ फार्म-VII प्राप्त होने पर पंजीकरण अधिकारी पार्टनर, प्रोप्राईटर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के बायोमैट्रिक डाटा लेने के लिए तारीख नियत करेगा जिसकी सूचना परिपत्र संख्या-427 दि0-6.12.2007 के अनुसार व्यापारी को दी जाएगी। उसके बाद सुविधानुसार व्यापारस्थल का डिजिटल फोटोग्राफ लिया जाएगा। तदोपरान्त परिपत्र संख्या-427 दि0-6.12.2007 के निर्देशों के अनुसार फार्म-XI व्यापारी को भेजा जाएगा। व्यापारी पूर्व की भांति उन्हें आवंटित टिन का उपयोग करता रहेगा।

5- पंजीयन प्रकोष्ठ एवं व्यापारी सुविधा केन्द्र के संबंध में कोई परेशानी होने पर एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) (0522-2721148) से सम्पर्क करके आप उन्हें आने वाली कठिनाईयों के बारे में तुरंत सूचित करेंगे।

6- कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि फार्म-VII, VIII शिड्यूल की कॉपी, फार्म-अ सभी व्यापारियों को उपलब्ध करा दें।

7- लगभग 01 माह से टिन जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गयी थी। कम्प्यूटर पर पंजीयन संबंधित सॉफ्टवेयर लोड कर उपलब्ध करा दिये गये हैं अत: सभी करनिर्धारण अधिकारी सुनिश्चित करें कि 31.12.2007 तक व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हेतु जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं उनका निस्तारण उच्चतम प्राथमिकता पर करते हुए सभी को टिन आवंटित कर दें। यह कार्य युद्धस्तर पर अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोलकर किया जाए।

स- <u>शिड्यूल ऑफ रेट / एच0एस0एन0 कोड</u>

1- इस पत्र के साथ रेट शिड्यूल की प्रति प्रेषित की जा रही है। सभी अधिकारी इसका अध्ययन कर लें और आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां करवाकर व्यापार संघों, अधिवक्ता संघों, सरकारी विभागों, व्यापारियों व गणमान्य व्यक्तियों को विलम्बतम 15.1.2008 तक उपलब्ध करा दें तथा सभी कार्यालयों, पंजीकरण प्रकोष्ठ व हेल्प डेस्क पर इनकी प्रतियां उपलब्ध रहनी चाहिएं।

2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शुगर व कपड़े पर कोई कर नहीं लगेगा। यह वस्तुएं शिड्यूल-2 में अंकित हैं किन्तु इन पर कोई कर नहीं लगाने के बारे में धारा-4 की उपधारा-(1) के प्रोविजो में स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि शुगर व कपड़े पर सरकार अलग से विज्ञप्ति जारी करके दिनांक का निर्धारण करेगी। इसकी जानकारी समस्त संबंधित को करते हुए शंकाओं का निराकरण किया जाए। इसी प्रकार न्यूज पेपर पर भी कोई कर नहीं लगेगा क्योंकि संविधान में इस पर कोई कर लगाने की व्यवस्था नहीं है।

3- एच0एस0एन0 कोड के संबंध में आपको ई-मेल द्वारा पुस्तक भेजी जा चुकी है। आप इसकी पर्याप्त प्रतियां कराकर सभी कार्यालयों, पंजीयन प्रकोष्ठ, हेल्प डेस्क पर उपलब्ध करा दें तथा सभी व्यापारी संघों, अधिवक्ता संघों, चार्टड एकाउण्टेण्ट, कॉस्ट एकाउण्टेण्ट तथा सरकारी विभागो आदि को उपलब्ध करा दें।

द- <u>वैट लागू होने की तिथि को स्टॉक की घोषणा</u>

व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समस्त व्यापारियों को दि0-1.1.2008 से प्रारंभिक स्टॉक की घोषणा का फार्म-अ भी सभी व्यापारियों को उपलब्ध करा दिये जायें तथा यह स्पष्ट कर दिया जाए कि दि0 1.1.2008 के स्टॉक की घोषणा केवल एक बार करनी है और वह भी 31.1.2008 तक क्योंकि यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के अंतर्गत इस संबंध में समय की कोई छूट देने अथवा समय बढाने का कोई प्राविधान नहीं है। व्यापारी द्वारा प्रारूप-अ व्यापारी सुविधा केन्द्र में जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर ली जाए और व्यापारी उस रसीद को अपने पास सुरक्षित रखे जो इस बात का प्रमाण होगा कि 31.1.2008 के पहले यह फार्म विभाग को जमा कर दिया गया है।

य- <u>लेखों का रख रखाव</u>

व्यापारियों को आने वाली कठिनाईयां तथा व्यापार कर से वैट रिजीम में सुविधाजनक ट्रान्जिशन के लिए निम्न निर्णय भी लिये गये हैं :-

क- वैट नियमावली के नियम-43(1) में यह प्राविधान कर दिया गया है कि यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसा इनवाइस जारी किया जाता है जिसमें टैक्स इनवाइस की सारी सूचनाएं उपलब्ध हों तो उसे भी वैट अधिनियम के अंतर्गत सही माना जाएगा। उदाहरणार्थ एक्साईज विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में यदि टैक्स इनवाइस की सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं तो उसे वैट अधिनियम के अंतर्गत भी वैध माना जाएगा।

ख- व्यापारियों द्वारा जो स्टेशनरी बिल / इनवाइस / कैशमेमो आदि के लिए प्रयोग की जा रही है उसके क्रमांक नंबर भी उसी क्रम में दि0 31.3.2008 तक जारी कर सकते हैं। जो बिल / इनवाइस इस समय व्यापारी प्रयोग कर रहे हैं उसमें वैट के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवाइस की समस्त सूचनाएं यदि उपलब्ध हों तो उसे प्रीअथेन्टिकेट करके प्रयोग किया जा सकता है अन्यथा टैक्स इनवाइस छपवाना अनिवार्य रहेगा शेष अभिलेख दि0 31.3.2008 तक पूर्ववत् रखा जा सकता है।

ग- माल के साथ पंजीकृत व्यापारी द्वारा जारी टैक्स इनवाइस या सेल इनवाइस, चालान अथवा ट्रान्सफर इनवाइस अथवा विशिष्ट मामलों में ट्रान्सपोर्ट मेमो में से कोई एक वैध अभिलेख होने पर सचल दल द्वारा माल नहीं रोका जाएगा। प्रत्येक सेल इनवाइस, टैक्स इनवाइस अथवा चालान आदि पर व्यापारी का टिन प्रिन्ट होना अनिवार्य होगा।

घ- कम्प्यूटर से जारी होने वाले बिलों के संबंध में टैक्स इनवाइस, सेल इनवाइस, बिल, इनवाइस, कैश मेमो या क्रेडिट मेमो के क्रमांक दि0-31.3.2008 तक जारी करने की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रख सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी रखी जाएगी जिसे कम से कम 50 प्रति की बाउण्ड बुक में रखा जाएगा।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, व्यापार कर,
उ0प्र0।

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में)।
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर,उ0प्र0।
(5) विशेष कमिश्नर व्यापार कर , उ0प्र0, मुख्यालय लखनऊ।
(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक, सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोयडा।
(15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य व्यापार कर, गाजियाबाद।
(16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) व्यापार कर, लखनऊ / इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ।
(18) वैट अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी, व्यापार कर, मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलस़फा, लखनऊ।

(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।

(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17, गोमती नगर, लखनऊ।

(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।

(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ।

(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।

(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।

(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।

(33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

(34) श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर

(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।

(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ।

(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

(39) श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।

(40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।

(41) श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा।

(42) श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर।

(43) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।

(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद।

(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर।

(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।

(47) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।

(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाउस, आगरा ।

(49) श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर।

(50) श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।

(51) श्री दिनेश आरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।

(52) श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।

(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।

(54) श्रीअरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पॅजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।

(55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।

(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।

(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।

(58) अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097।

(59) वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।

(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस।

(जनार्दन दुबे)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वैट) व्यापार कर
उ0प्र0, लखनऊ।